

CBSE Affiliation No:- 2120047

सी0बी0एस0ई0 बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त

School Code:- 72013

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, काँधनी, इटावा।

स्थापना वर्ष— 21 जनवरी 2011



डा० निर्मल चन्द्र वाजपेई
प्रधानाचार्य

सतीश कुमार
जिला समाज कल्याण अधिकारी
इटावा।

महिमा मिश्रा
उपनिदेशक, समाज कल्याण
कानपुर मण्डल
कानपुर।

प्रणता ऐश्वर्या
मुख्य विकास अधिकारी
इटावा।

अवनीश राय
जिलाधिकारी
इटावा।

प्रस्तावना

समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1948-49 में हुई उस समय इस विभाग का नाम "हरिजन सहायक विभाग" था। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को इसके पूर्व शिक्षा विभाग से कुछ शैक्षिक सुविधायें प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त वर्ष 1940-41 "रिक्लेमेशन विभाग" के नाम से एक अलग विभाग संचालित था। इसका मुख्य कार्य उन जातियों का कल्याण था जो उस समय अपराध की ओर उन्मुख थीं समाज कल्याण विभाग व रिक्लेमेशन विभाग दोनों साथ-साथ कार्य करते थे एवं तत्पश्चात रिक्लेमेशन विभाग के समस्त कार्य हरिजन सहायक विभाग में ही सम्मिलित कर दिया गया।

वर्ष 1955 में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई जिसे वर्ष 1961 में अलग-अलग मानते हुये निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया, सामन्जस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग-अलग चल रहे हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977-78 में सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। 1991-92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1995-96 में अल्प संख्यक, विकलांग कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों को समाज कल्याण विभाग से अलग कर दिया गया। इसके फलस्वरूप सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 4056/वीस-ई 195-539 (2)/95- दिनांक 12 अगस्त 1995 द्वारा विभाग का नाम परिवर्तित करके अनुसूचित जाति/जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग कर दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजना बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

संविधान निर्माता डा० भीम राव रामजी अंबेडकर द्वारा कहा गया कि, "समाज के उत्थान के लिए शिक्षा ही इकलौता माध्यम हैं जिससे विकास किया जा सकता है, अर्थात् शिक्षा व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है" इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री सम्पूर्णानन्द ने 1960-61 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों व विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने व घर के माहौल से अलग रखकर शिक्षा प्रदान के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की।

आश्रम शब्द वैदिक काल की शिक्षा से लिया गया, जिसमें छात्र-छात्राओं को अपने घर से अलग रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी तरह राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों को घर से अलग रख कर शिक्षा का माहौल प्रदान किया जाता है। संवासी छात्रों को सभी सुविधाएँ समाज कल्याण विभाग उ०प्र० की ओर से पूर्णतया निःशुल्क प्रदान की जाती है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के उद्देश्य:-

1. राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का उद्देश्य है कि समाज के निम्न वर्ग आय से पिछड़े तबके को शैक्षणिक स्तर सुधार कर समाज की मुख्य धारा के समतुल्य लाना है। जिससे उक्त वर्ग अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सकें और समता मूलक समाज की स्थापना हो ।
2. धुमन्तू, अपराधिक प्रवृत्ति व जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो गई है ऐसे निर्धन और बेसहारा लोगों के पाल्यों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है।
3. छात्र-छात्राओं का चहुँमुखी विकास करना।
4. शिक्षा के लिए अनुकूल व उपयुक्त वातावरण देना।

माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करने में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की भूमिका-

सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं को केन्द्र बिन्दु में रखकर राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना हुई। ऐसे अभिभावक जो अपने पाल्य की प्रतिभा को निखारने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो, ऐसे कमजोर वर्ग के मेधावी छात्र-छात्राओं को संस्था में प्रवेश देकर उनके शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास में सन् 1960-61 से लगातार राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय योगदान दे रहा है। माध्यमिक शिक्षा को उन्नत करने में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों की भूमिका निम्नवत है-

- 1- 06 से 12 तक कक्षाओं का संचालन
- 2- प्रवेश प्रक्रिया
- 3- भौतिक संसाधन
- 4- भोजन की व्यवस्था

- 5- स्टेशनरी की व्यवस्था
- 6- ड्रेस की व्यवस्था शैक्षिक/शिक्षणेत्तर
- 7- विद्यालयों का प्रशासनिक ढांचा
- 8- स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ
- 9- खेल-कूद सम्बन्धी, विकास
- 10- पाठ्यक्रम सहगामी कियाएं
- 11- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यों का विभाजन
- 12- छात्र-छात्राओं के चहुँमुखी विकास हेतु क्रियाएं
- 13- कौशल-विकास में भूमिका
- 14- पुस्तकालय

1- 06 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन-

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 06 से 12 तक कक्षाएं संचालित हैं, प्रत्येक कक्षा में 70 छात्रों का प्रवेश लिया जाता है। कुल क्षमता 480 (40x12) है। शासनादेश संख्या:- 114 दिनांक:- 06.10.2015 में दी गयी व्यवस्था में कक्षा 01 से 05 तक की कक्षाओं का संचालन 2020-21 बन्द हो चुका है। वर्तमान में 06 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, प्रत्येक सेक्शन में 35-35 छात्रों का प्रवेश लिया जाएगा और कुल क्षमता 490 छात्रों की होगी।

2-प्रवेश प्रक्रिया- विद्यालयों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित आरक्षण की व्यवस्था की गई है-

क्र.सं.	वर्ग	प्रतिशत	छात्र सं०	ग्रामीण	शहरी
1.	अनुसूचित जाति/जनजाति	60 %	294	85 %	15 %
2.	पिछड़ा वर्ग	25 %	123	85%	15%
3.	सामान्य	15%	73	85%	15%
	योग		490	416	74

प्रदेश में कुल 102 विद्यालयों में 16 बालिका 4 स्वच्छकार व 9 अनुसूचित जनजाति के संचालित हैं। उ०प्र० में 16 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित नहीं है। उ०प्र० सरकार अगले 5 वर्षों में सभी जिलों को सन्तुष्ट करने का लक्ष्य है।

प्रवेश की अन्य शर्तें निम्नवत हैं-

- अ- अभिभावक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46080.00 रु० व शहरी क्षेत्रों के लिए 56460.00 रु० वार्षिक आय तक के मेधावी छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा।
- ब- ऐसे बच्चे जिनके माता व पिता में एक या दोनों की मृत्यु हो गई हो।
- स- बच्चे को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होता है।
- द- आधार कार्ड होना अनिवार्य है अन्य सभी शर्तें माध्यमिक विद्यालयों के अनुसार है।
- 3- **भौतिक संसाधन**

सम्पूर्ण उ०प्र० में वर्तमान में कुल 102 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जिसमें बालक वर्ग बालिका वर्ग में प्रत्येक विद्यालयों में 490 संवासी छात्र-छात्राओं के रहने के लिए होस्टल, डाइनिंग हाल, खेल का मैदान, शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हैं। संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के लिए टाइप-4, टाइप-3, टाइप- 01 के आवास भी बने हुये हैं प्रत्येक वर्ष भवन के रखरखाव हेतु अनुरक्षण में पर्याप्त बजट भी उपलब्ध कराया जाता है। अतः विद्यालयों में भौतिक संसाधन पर्याप्त है और आवश्यकतानुसार शासन द्वारा माँग के अनुरूप अन्य निर्माण कराया जाता रहा है।

- 4- भोजन की व्यवस्था-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में संवासी छात्रा-छात्राओं को निःशुल्क भोजन व्यवस्था कराई जाती हैं भोजन के लिए प्रति छात्र प्रतिमाह 2250/- रु0 खर्च किया जाता है। शासन द्वारा संवासी छात्रों के लिये भोजन का मीनू निम्नवत् निर्धारित है:-

पं.दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (काँधनी, इटावा) साप्ताहिक मैन्यू					
हरी सब्जियाँ, फल, मौसम व स्थानीय उपलब्धता के अनुसार देय					
दिन	नाश्ता 07.00 बजे प्रातः	दोपहर का भोजन 09.30 बजे प्रातः या दोपहर 12.30 बजे स्थानीय व्यवस्थानुसार	फ्रूट ब्रेक 01.30 बजे	सायंकालीन नाश्ता 04.15 बजे	रात्रिकालीन भोजन 08.00 बजे
1	2	3	4	5	6
सोमवार	दूध, नमकीन दलिया मौसमी सब्जी के साथ	अरहर दाल, आलू-सेम सब्जी रोटी चावल	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	मिक्स दाल, आलू सोयाबीन, टमाटर सब्जी, रोटी चावल
मंगलवार	दूध मीठा हलवा/मीठी दलिया दूध से निर्मित 125 ग्राम	राजमा, आलू गोभी सब्जी रोटी, चावल	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	चना दाल, बन्धा- गाजर- मटर मिक्स सब्जी रोटी चावल
बुधवार	दूध, फ्राइड चना/अंकुरित मूँग 50 ग्राम टमाटर प्याज के साथ	अरहर दाल, सोया मेथी-आलू सब्जी रोटी चावल	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	मूँग धुली दाल गोभी आलू, सूखी सब्जी, रोटी चावल
गुरुवार	दूध, उबला चना नीबू नमक के साथ	कढ़ी, आलू फ्राइड सब्जी रोटी, चावल	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	मूँग साबुत, आलू मटर, टमाटर सब्जी रोटी चावल
शुक्रवार	दूध, 4 ब्रेड 10 ग्राम मक्खन	अरहर दाल, गाजर मटर, टमाटर सब्जी रोटी चावल	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	उर्द दाल, आलू बन्धा, सब्जी रोटी चावल
शनिवार	दूध, पोहा/उपमा 150 ग्राम	मिक्स दाल, आलू पालक, सब्जी रोटी, चावल	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	अरहर दाल, आलू सेम सब्जी रोटी, चावल
रविवार	दूध, ब्रेड पकौड़ा	पनीर मटर (हरी) पापड़, पूड़ी चावल खीर	एक अमरुद/ केला, 50ग्राम मूँगफली	चाय, 04 नमकीन बिस्कुट	तहरी/खिचड़ी /राजमा- चावल रोटी पापड़, सलाद अचार
नोट- 1. मीठा दूध 250 ग्राम फुल क्रीम (पैकेट) प्रातः नाश्ता में। 2. रात्रि भोजन के साथ एक पीस मूँग पापड़। 3. सलाद में प्याज, खीरा, ककड़ी, हरी मिर्च आदि देय होगा। 4. दाल छौकने में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च हींग एवं जीरे का प्रयोग अनिवार्यतः किया जायेगा। प्रत्येक दाल में हींग की मात्रा थोड़ी अधिक रखी जायेगी। 5. भोजन आई.एस.आई./एगमार्ग रिफाइन्ड ऑयल में बनाया जायेगा।					

5-कापी किताब की व्यवस्था-समाज कल्याण विभाग द्वारा रा0आ0प0विद्यालय में संवासी छात्र व छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाती है।

कक्षा	प्रति छात्र
(i) 06 से 08 तक	765 /- रु0
(ii) 9-10	1500 /- रु0
(iii) 11-12	3000 /- रु0

6-ड्रेस की व्यवस्था- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्र एवं छात्राओं हेतु ड्रेस कोड निर्धारित है, जो निम्नवत है-

वर्ग	पेन्ट स्लेटी	पेन्ट शर्ट सफेद	शर्ट नीली चेकदार	जूता,मोजा	चप्पल
बालक	2 नग	1 नग	2 नग	2 जोड़ी	1 जोड़ी
बालिका	2 स्कर्ट	1 कुर्ता	2 नग कुर्ता	2 जोड़ी	1 जोड़ी

शीतकाल में मेसन कलर का ब्लेजर/फुल स्वेटर तथा एक छाया स्वेटर देय है। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को ट्रेक सूट भी दिया जाता है एवं प्रत्येक को हाउस टी-शर्ट दी जाती है। संवासी छात्रों के प्रवेश के समय देय गद्दा, कम्बल, चादर तकिया व कवर दिया जाता है।

7-विद्यालय में मानवीय संसाधन-

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में मानवीय संसाधनों को तीन भागों में वितरित किया गया है:-

प्रधानाचार्य/शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों पूर्व स्थिति	पदों की वर्तमान स्थिति
1	प्रधानाचार्य	1 पद	1 पद
2	अधीक्षक	1 पद	समाप्त
3	सहायक अधीक्षक	1 पद	समाप्त
4	प्रवक्ता	5 पद	10 पद
5.	सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड	5 पद	10 पद
6.	स0अ0(प्राथमिक)	5 पद	समाप्त
7	संगीत अध्यापक	1 पद	समाप्त
8	क्राफ्ट कला अध्यापक	1 पद	समाप्त
9.	मनोवैज्ञानिक स0अ0	1 पद	समाप्त
10	कला	1 पद	समाप्त
11	गृह माता	1 पद	1 पद

12.	फार्मासिस्ट / नर्स	1 पद	1 पद
13	लिपिक	3 पद	3 पद
14.	व्यायाम शिक्षक	1 पद	1 पद
15.	चतुर्थ श्रेणी	22 पद	7 स्थाई + 15 पद सेवाप्रदाता एजेन्सी
16.	कम्प्यूटर आपरेटर	—	1 पद— सेवाप्रदाता एजेन्सी

छात्र-छात्राएँ—राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में संवासी छात्र/छात्राओं की संख्या 490 निर्धारित की गई। जिसमें प्रत्येक कक्षा के 2 सेक्शन होंगे व प्रत्येक सेक्शन में 35-35 छात्र होंगे इसमें 60 प्रतिशत अनुसूचित 25 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य जाति से छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है।

8—स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ—

संवासी छात्र/छात्राओं के प्राथमिक उपचार हेतु विद्यालय में डिस्पेन्सरी होती है जो विद्यालय में नियुक्त फार्मासिस्ट की देख रेख में संचालित होती है। जिला अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी0एम0ओ0) द्वारा विद्यालय के लिए डाक्टर को नामित करा लिया जाता है।

चिकित्सक द्वारा विद्यालय में रह रहे बच्चों का साप्ताहिक परीक्षण किया जाता है, और बीमार बच्चों को समुचित इलाज दिया जाता है इससे उ0प्र0 शासन द्वारा बजट उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में त्रिमासिक स्वास्थ्य परीक्षण जिला अस्पताल के पैनल द्वारा दिया जाता है।

9—खेल सम्बन्धी—

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए खेल-कूद की व्यवस्था कर उनके लिए निर्धारित समय सारणी रहती है। जिसमें निर्धारित समय पर इन्डोर व आउटडोर खेल की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। खेल-सामग्री संवासी छात्र-छात्राओं को संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जाती है।

10—पाठ्य सहगामी क्रियायें :—

विद्यालयों में पठन-पाठन के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय के कार्य सुचारु रूप से सम्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्रियायें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं अतः इनके संगठन हेतु उचित ध्यान देना अपेक्षित है। वस्तुतः पाठ्य सहगामी क्रियायें छात्रों में उचित अभिवृत्तियों, आदतों एवं आदर्श आचरण हेतु सकारात्मक साधन है। इन क्रियाओं की उत्पत्ति बालकों की स्वाभाविक रुचियों से होती है। अतः उन्हें विद्यालय के पाठ्यक्रम को सजीव एवं सम्पन्न बनाने का स्रोत माना जाता है। पहले इन क्रियाओं को पाठ्यान्तर (Extra Curricular) क्रियाओं के रूप में माना जाता था, लेकिन आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षाविदों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुका है। अब इन क्रियाओं को अतिरिक्त (Extra) नहीं माना जाता है, बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियायें कहा जाता है, **विद्यालय केवल सूचना केन्द्र नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है।** इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियायें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं। अतः आज इन्हें सैद्धान्तिक विषयों की तुलना में नगण्य नहीं माना जाता, बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।

विद्यालय में विधिवत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाता है।

11— स्मार्ट क्लास का संचालन—

स्मार्ट क्लास का संचालन सत्र 2017-18 से सुचारु रूप से किया जा रहा है।

12- कम्प्यूटर क्लास का संचालन-

सत्र 2019-20 से कम्प्यूटर लैव संचालित हो गयी है।

पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में।

किसी भी संस्था का पुस्तकालय वहाँ के प्रभावी ढंग से सम्पादित कराने में तथा पढने की आदत का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये पुस्तकालय अध्यक्ष का विषयवार पुस्तकों को संग्रहीत करना महत्वपूर्ण दायित्व है।

- विद्यालय की पुस्तकों को रजिस्टर में व्यवस्थित करना।
- एक्सेसन रजिस्टर में विषयवार लिपिवद्ध करना।
- पुस्तकालय में दैनिक समाचार पत्रों छात्रोपयोगी पत्र पत्रिकाओं को व्यवस्थित करना।
- छात्रों को पुस्तक समीक्षा के लिये प्रेरित करना व मार्गदर्शन देना तथा उन्हें दीवार पत्रिका के लिये प्रोत्साहति करना।
- छात्रों के लिये व्यवसायिक एवं शैक्षिक मार्ग निर्देशन सम्बन्धी पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था करना तथा विशेषज्ञों के भाषण एवं लेक्चर आयोजन करना।
- वे समस्त कार्य संस्थाध्यक्ष/प्रधानाचार्य /विभाग द्वारा निर्धारित है।

सदनाध्यक्ष गठन के सम्बन्ध में:-

सदन के प्रबन्ध- आवासीय विद्यालयों में सुदृढी आवासीय व्यवस्था देने के लिये विभिन्न सदनों का निर्माण किया गया है, और प्रत्येक सदन के देखरेख के लिये सदनाध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त किये गये हैं। विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 8 तक कनिष्ठ सदन तथा 9 से 12 तक वरिष्ठ सदन बनाये गये हैं। इस दृष्टिकोण से 4 सदन इस प्रकार होंगे।

सदन के नाम-

बालक वर्ग	
सदन का नाम	झंडे का रंग
सुभाषचन्द्र बोस सदन	लाल
चन्द्रशेखर आजाद सदन	पीला
अम्बेडकर सदन	नीला
अब्दुल कलाम सदन	हरा

सभी सदनों के लिये सदनाध्यक्ष एवं सह सदनाध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं, सदनाध्यक्षों की कार्यावधि शैक्षणिक समय के अनुरूप ही रखी गयी है। साथ ही छात्रों के खान पान के तौर तरीकों को सुव्यवस्थित करने के लिये छात्रावास के लिये सदन प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गयी है, तथा मध्याह्न भोजन छात्रों के साथ करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

सदन व्यवस्था को समुचित एवं सुदृढ़ बनाने के लिये छात्रों को जिम्मेदारियों दी गयी है जैसे— सभी सदनों में दो सदन नायक, उपसदन नायक तथा सदन प्रीफेक्ट, नियुक्त किये गये हैं, तथा उनकी पहचान के लिये बैच उपलब्ध कराये जायेंगे। उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्यालय कैप्टन एक, विद्यालय उपकैप्टन एक बालक विद्यालय में नियुक्त किये गये हैं।

सदन कैप्टन, सदन उपकैप्टन, सदन प्रीफेक्ट अपने अपने सदनाध्यक्ष के दिशा निर्देशन में कर्तव्य उत्तरदायित्वों का निर्धारण करके सदनाध्यक्षों को सदन के सफल संचालन हेतु सहयोग करेंगे।

विद्यालय कैप्टन और उपकैप्टन सभी सदनाध्यक्षों तथा संस्थाध्यक्ष के दिशा निर्देशन में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करके सदन व्यवस्था विद्यालय के अनुशासन व्यवस्था को बनाये रखने में सहयोग करेंगे।

सदनाध्यक्ष एवं सहसदनाध्यक्ष के कर्तव्य एवं दायित्व—

आवासीय विद्यालयों में सदनाध्यक्ष एवं सहसदनाध्यक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वाहन उसी भावना के साथ जाए जिस तरह सं माता—पिता एवं अभिभावक अपने बच्चों के साथ प्रेम एवं स्नेह का व्यवहार करते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु अवश्यक दिशा निर्देश इस प्रकार निर्धारित होंगे—

- सदनाध्यक्ष प्रातःकाल एवं रात्रि के समय अपने सदन के छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
- सदन कर नियमित रूप से भ्रमण/निरीक्षण करेंगे।
- सदन में साफ सफाई विशेष रूप से शौचालय आदि की साफ सफाई, पानी की नियमित उपलब्धता एवं छात्रों के रहने की व्यवस्था आदि में छात्रों को समय समय पर मार्ग निर्देशन देंगे।
- सदनाध्यक्ष/सहसदनाध्यक्ष छात्रों के साथ सुबह, दोपहर, एवं रात्रि कालीन भोजन में उपस्थित रहेंगे तथा छात्रों के भोजन के लिये साफ सफाई के साथ भोजन में प्रयुक्त होने वाले थाली, चम्मच आदि तथा भोजन के तौर तरीके टेबल मैनर को सिखाने में मदद करेंगे।
- छात्रों के अस्वस्थ होने की स्थिति में उपचार की व्यवस्था कराने में यदि आवश्यक हो तो निकटस्थ चिकित्सालय को स्टाफ कम्पाउन्डर के साथ भेजने में सहयोग करेंगे।
- छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिये समय समय पर छात्र से सम्बन्धित विषय शिक्षक व उनके अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे। छात्र की शैक्षिक प्रगति के लिये अपना योगदान देंगे।
- पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं खेलकुद में सहभागिता के लिये छात्रों का चयन करेंगे, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश देंगे, तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे।
- छात्रों का सुरक्षा एवं संरक्षा के लिये विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश का पालन करेंगे।
- समय समय पर छात्रों के साथ सदन की बैठक सुनिश्चित करेंगे एवं मेस मेन्सू इत्यादि के निर्धारण में अपना सहयोग करेंगे।
उक्त वर्णित कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाहन किया जाना सुनिश्चित करें, जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

छात्र प्रतिज्ञा (हिन्दी)

शुभारत हडारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता-पिता, शिक्षकों एवं गुरुजनों का सदा आदर करेंगे तथा सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति सदैव निश्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण एवं समृद्धि में हमारा सुख निहित है।

छात्र प्रतिज्ञा (अंग्रेजी में)

“India is my country. All Indians are my brother & sister. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall pay respect to my parents, teachers, class-mates and all elders and treat every one with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion in their well being and prosperity alone lies my happiness.”

क्र०सं०	क्रिया कलाप	
01	सदनवार/ कक्षावार उपस्थिति	2 मिनट
02	प्रार्थना गीत	3 मिनट
03	ध्यान योग्य	1 मिनट
04	छात्र वाचन	3 मिनट
05	राष्ट्रगान	52 सेकेण्ड
06	छात्र प्रतिज्ञा	1 मिनट
07	आज का विचार	1 मिनट
08	समाचार वाचन	3 मिनट
09	प्रधानाचार्य/सीनीयर प्रवक्ता का उद्बोधन	2 मिनट

नोट— प्रार्थना गीत और राष्ट्रगान को छोड़कर प्रातःकालीन सभा सप्ताह में तीन दिन हिन्दी भाषा में तथा तीन दिन अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी।

विद्यालय समिति:— शासनादेश संख्या:—114/2015/आर-110 वी.आई.पी./26-3-2015-246 सी.एम./2015 दिनांक—06.10.2015 नवोदय विद्यालय की भाँति आश्रम पद्धति विद्यालय के सुचारु रूप से संचालन के लिये जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित की जायेगी। समिति की बैठक आवश्यकतानुसार अथवा तीन माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। समिति निम्नवत् होगी:—

क्र०स०	पदनाम	समिति में स्थिति
1—	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3—	मुख्य चिकित्सकाधिकारी	सदस्य
4—	मण्डलीय उप निदेशक समाज कल्याण	सदस्य
5—	प्रचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	सदस्य
6—	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
7—	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8—	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक महिला पुरुष अभिभावक	सदस्य
9—	विद्यालय का वरिष्ठ शिक्षक	सदस्य
10—	सम्बन्धित आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य	सदस्य / सचिव

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष क्रय एवं व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध समिति प्रत्येक आश्रम पद्धति विद्यालय के वार्षिक बजट को अंतिम रूप देगी तथा लघु निर्माण कार्य की स्वीकृति देने हेतु अधिकृत होगी। यह समिति प्रस्तावित वृहद् निर्माण कार्यों की सस्तुति अपर निदेशक समाज कल्याण को प्रेषित करेगी। शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु आवश्यक सुझावों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु भी यह समिति सक्षम होगी। जनपद स्थित आश्रम पद्धति विद्यालयों के दैनिक कार्यों के संपादन हेतु प्रधानाचार्य सक्षम होंगे, लेकिन शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के संबंध में प्रधानाचार्य द्वारा लिये गये प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित उक्त समिति को होगा।

षीतकालीन समय चक्र

क्रिया-कलाप	समय
प्रातःजागरण	6.00 प्रातः
नित्य क्रिया	6.00 से 6.30 पूर्वान्ह
योग/ व्यायाम	6.30 से 7.15
स्नानादि	7.15 से 7.45
प्रातःकालीन नाश्ता	7.45 से 8.30
स्व-अध्ययन / सेल्फ स्टडी	8.30 से 9.30
प्रार्थना	9.40 से 10.00
प्रथम कालांश	10.00 से 10.35
द्वितीय कालांश	10.35 से 11.10
तृतीय कालांश	11.10 से 11.45
चतुर्थ कालांश	11.45 से 12.20 अपरान्ह
मध्यान्ह भोजन	12.20 से 1.40
पौंचवां कालांश	1.40 से 2.15
छठा कालांश	2.15 से 2.50
सातवां कालांश	2.50 से 3.25
अष्टम कालांश	3.25 से 4.00
षून्य कालांश/उपचारात्मक अध्ययन	4.00 से 5.00
खेलकूद/उपस्थिति/सायंकालीन नाश्ता	5.00 से 6.00
सायंकालीन दैनिक क्रियायें	6.00 से 6.45
पर्यवेक्षण अध्ययन	6.45 से 8.00सांय
भोजन/ मनोरंजन	8.00 से 9.00
स्व-अध्ययन	9.00 से 10.00
षयन काल	10.00 से 5.00

ग्रीष्मकालीन समय चक्र

क्रिया-कलाप	समय
प्रातःजागरण	5.00 प्रातः
नित्य क्रिया	5.00 से 5.30 पूर्वान्ह
योग/ व्यायाम	5.30 से 6.15
स्नानादि	6.15 से 6.45
प्रातःकालीन नाश्ता	6.45 से 7.30
प्रार्थना	7.30 से 7.50
प्रथम कालांश	7.50 से 8.25
द्वितीय कालांश	8.25 से 9.05
तृतीय कालांश	9.05 से 9.40
चतुर्थ कालांश	9.40 से 10.15
ब्रेक	10.15 से 10.30
पाँचवां कालांश	10.30 से 11.05
छठा कालांश	11.05 से 11.40
सातवां कालांश	11.40 से 12.15
षून्य कालांश/उपचारात्मक अध्ययन	12.15 से 12.55
मध्यान्ह भोजन व विश्राम	12.55 से 5.00
खेलकूद/उपस्थिति	5.00 से 6.00
सांयकालीन दैनिक क्रियार्ये	6.00 से 6.45
पर्यवेक्षण अध्ययन	6.45 से 8.00सांय
भोजन/ मनोरंजन	8.00 से 9.00
स्व-अध्ययन	9.00 से 10.00
षयन काल	10.00 से 5.00

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, काँधनी, इटावा।

पुस्तकालय समय सारणी

क्र.स.	दिन	समय 04 से 05 PM बजे तक	समय 07 से 08 PM बजे तक
1	सोमवार	Room No- 2,3, 4, व 5	Room No-B1 7, 8
2	मंगलवार	Room No- 9,10, व 11	Room No-12, 13, व 14
3	बुधवार	Room No- 16,17, व 18	Room No- 19, 20, व 21
4	गुरुवार	Room No-23, 27, व 28	Room No- A1 29, व 30
5	शुक्रवार	Room No- 31, 32, व 33	Room No- 35, 36 व 34
6	शनिवार	Room No-37, 39, व 40 ,	Room No-41 42, 43 व अन्य
7	रविवार	अवकाश	अवकाश

नोट— पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए सायं 8 बजे से 8:30 तक समय निर्धारित है।

षिक्षित भारत— समृद्ध भारत।

रामकृपाल
पुस्तकालय प्रभारी
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

डॉ० निर्मल चन्द्र वाजपेयी
प्रधानाचार्य
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय

प्रगति रिपोर्ट

समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय काँधनी,इटावा की स्थापना 21जनवरी 2011 को हुई। सन् 2011 से 2015 तक माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित था। उत्तर प्रदेश सरकार स्विच ओवर करते हुए सन् 2016 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा संचालित हो रहा है। प्रगति निम्नवत है—

विद्यालय का विगत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम

क्र0स0	सत्र	कक्षा	परीक्षा परिणाम प्रतिषत
1	2020—21	10	100
2	2021—22	10	100
3	2022—23	10	94
4	2020—21	12	100
5	2021—22	12	100
6	2022—23	12	93.33

विद्यालय में पंजीकृत छात्रों का विवरण—

क्र0स0	कक्षा	कुल क्षमता	पंजीकृत छात्र
1	6	70	61
2	7	70	65
3	8	70	68
4	9	70	70
5	10	70	59
6	11	70	61
7	12	70	45
	कुल योग	490	429

स्मार्ट क्लास का संचालन—

स्मार्ट क्लास का संचालन सत्र 2017—18 से सुचारु रूप से किया जा रहा है।

कम्प्यूटर क्लास का संचालन—

सत्र 2019—20 से कम्प्यूटर लैब संचालित हो गयी है।

टैब लैब क्लास का संचालन—

सत्र 2023—24 से टैब लैब संचालित हो गयी है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग का संचालन—

सत्र 2023—24 से मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग उप केन्द्र स्थापित होकर संचालित हो गया है। जिसमें विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11 व 12 विज्ञान वर्ग के छात्रों को जेईई व नीट की तैयारी कराई जा रही है।

खेल सम्बन्धी प्रगति—

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्र-छात्राओं के लिए खेल-कूद की व्यवस्था कर उनके लिए निर्धारित समय सारणी रहती है। जिसमें निर्धारित समय पर इन्डोर व आउटडोर खेल की अलग-अलग व्यवस्था की गई है। खेल-सामग्री संवासी छात्र-छात्राओं को संस्था की ओर से उपलब्ध कराई जाती है। राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता डिसकस थ्रो में शिवम, ऊँची कूद में प्रशांत सिंह व 400 मी० दौड़ में विजय प्रताप प्रतिभाग किया।

पाठ्य सहगामी क्रियायें :—

विद्यालयों में पठन-पाठन के साथ-साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप विद्यालय के कार्य सुचारु रूप से सम्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्रियायें पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग हैं अतः इनके संगठन हेतु उचित ध्यान देना अपेक्षित है। वस्तुतः पाठ्य सहगामी क्रियायें छात्रों में उचित अभिवृत्तियों, आदतों एवं आदर्श आचरण हेतु सकारात्मक साधन हैं। इन क्रियाओं की उत्पत्ति बालकों की स्वाभाविक रुचियों से होती है। अतः उन्हें विद्यालय के पाठ्यक्रम को सजीव एवं सम्पन्न बनाने का स्रोत माना जाता है। पहले इन क्रियाओं को पाठ्यान्तर (Extra Curricular) क्रियाओं के रूप में माना जाता था, लेकिन आधुनिक शिक्षा जगत में शिक्षाविदों का दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुका है। अब इन क्रियाओं को अतिरिक्त (Extra) नहीं माना जाता है, बल्कि पाठ्य सहगामी क्रियायें कहा जाता है, **विद्यालय केवल सूचना केन्द्र नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य चरित्र निर्माण करना है।** इस प्रकार पाठ्य सहगामी क्रियायें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं। अतः आज इन्हें सैद्धान्तिक विषयों की तुलना में नगण्य नहीं माना जाता, बल्कि उतना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है।

विद्यालय में विधिवत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संचालन किया जाता है।

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, काँधनी, इटावा।
प्रगति रिपोर्ट 2023



माननीय श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ०प्र० सरकार / प्रभारी मंत्री जनपद इटावा द्वारा विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 29/08/2023 प्रगति विवरण।